UIT

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F-7( )B.PLAN/MISC/2021-22/ 2069 दिनांक : 24/9/2021

आम–सूचना

नगर सुधार न्यास (जोनल डवलपमेन्ट प्लान), नियम – 2021 के नियम 3 के अंतर्गत सूचित किया जाता हैं कि उदयपुर मास्टर प्लान – 2031 के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के दक्षिण–पूर्वी जोन (जिसमें पार्ट एस ई–1 सम्मिलित हैं), का प्रारूप जोनल डवपलमेन्ट प्लान तैयार किया गया हैं, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :–

दक्षिण–पूर्वी जोन (पार्ट जोन एस ई–1) सीमाएँ – रकमपुरा से देबारी जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में नगरीय क्षेत्र की सीमा तक का क्षेत्र, जिसमें राजस्व ग्राम धोली मगरी, नला फलां, झरनों की सराय, डांगीयों की पंचोली, भोईयों की पंचोली, धुणीमाता, रकमपुरा, देबारी, कानपुर, कमलोद, कमलोद डुंगर का क्षेत्र सम्मिलित है।

अतः उपरोक्तानुसार दक्षिण–पूर्वी जोन के पार्ट जोन एस ई–1 के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो इस बाबत् वे अपने आपत्ति/सुझाव दिनांक 24/09/2021 से 20 दिवस की कालावधि में कार्यालय नगर सुधार न्यास, उदयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। "निजी भूमि धारकों से दक्षिण–पूर्वी जोन में सुविधाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम इत्यादि हेतु प्रस्ताव भी आमंत्रित किये जाते हैं, जिनका परीक्षण उपरान्त निर्णय प्राथमिकता पर न्यास स्तर पर किया जावेगा।"

उपरोक्तानुसार उदयपुर मास्टर प्लान–2031 क्षेत्र के दक्षिण–पूवी जोन (पार्ट जोन एस ई–1) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान का अवलोकन कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में कार्यालय समय में किया जा सकता है अथवा न्यास की वेब साईट पर भी किया जा सकता है।

प्राधिकृत अधिकारी,
जोनल डवलपमेन्ट प्लान एवं
उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर